

सोशल आडिट निदेशालय

(उ०प्र० सोशल आडिट संगठन के अधीन)

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 538/सो.आ.नि.-318(उ) /2017

दिनांक: 17 जनवरी, 2019

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कासगंज, उ०प्र०।

विषय: सोशल आडिट टीमों के गठन की विज्ञप्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में आपके संज्ञान में लाना है कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा०) तथा शासन द्वारा निर्दिष्ट अन्य विभागों के अन्तर्गत कराए गए कार्यों के सोशल आडिट हेतु टीमों का गठन किया जाना है।

इस हेतु अपने जनपद के सर्वाधिक प्रचार प्रसार वाले हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में अधिकतम 16 से०मी०×१० से०मी० (लम्बाई×चौड़ाई) साइज में विज्ञापन सूचना निदेशक के शासकीय दरों पर दिनांक 21-01-2019 तक प्रकाशित कराएं। प्रकाशित विज्ञप्ति के बिल का भुगतान सम्बन्धित जनपद के सूचनाधिकारी से सत्यापनोपरान्त बिल प्रस्तुत करने पर निदेशालय द्वारा किया जाएगा। जिला विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन—पत्र पहुँचने की अन्तिम तिथि: 08 फरवरी, 2019 होगी। सोशल आडिट टीमों के गठन की विज्ञप्ति का प्रारूप निम्नवत है:—

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद.....

सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु विज्ञप्ति

(उ०प्र० सोशल आडिट संगठन, (पंजीकृत सोसाइटी) के अधीन)

ग्राम पंचायतों में निर्दिष्ट योजनाओं यथा मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा अन्य के अन्तर्गत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट करने हेतु ब्लाक स्तर पर 04 सदस्यीय सोशल आडिट टीमों के पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से निम्नवत् आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:—

- 1— प्रत्येक सोशल आडिट टीम में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, तथा जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसके पात्र पुत्र/पुत्री—प्रत्येक श्रेणी से एक—एक सदस्य होंगे। उक्त में से न्यूनतम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी के स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्य होने पर उसे वरीयता दी जाएगी।
- 2— शैक्षिक अर्हता:— हाईस्कूल उत्तीर्ण। हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर चयन समिति द्वारा शैक्षिक अर्हता शिथिलनीय।
- 3— निवास:— सोशल आडिट टीम का सदस्य नामित होने हेतु उसी विकास खण्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
- 4— आयु:— 01 अप्रैल, 2019 को 40 से 65 वर्ष के मध्य।
- 5— सोशल आडिट टीमों के सदस्यगण सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मात्र 31 मार्च, 2020 तक के लिए पैनल पर नामित किए जाएंगे। इस तिथि के बाद यह पैनल स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 6— पैनल पर नामित सदस्यगणों से केवल आवश्यकतानुसार सोशल आडिट हेतु उनकी सेवाएं प्राप्त की जाएंगी। यह भी सम्भव है कि कतिपय मामलों में अपरिहार्य कारणों से सदस्यगणों से सोशल आडिट का कार्य न लिया जा सके। सोशल आडिट का कार्य न लिए जाने की स्थिति में उन्हें किसी प्रकार का व्यवसायिक शुल्क अनुमन्य न होगा।

- सोशल आडिट के वास्तविक रूप से सम्पन्न होने पर सोशल आडिट टीम के प्रत्येक सदस्य को प्रति सोशल आडिट ₹0 500/- व्यवसायिक शुल्क के रूप में अनुमन्य होगा।
 - सोशल आडिट टीम के सदस्यों की सेवाएँ पूर्णतया सामाजिक कार्य है। यह किसी प्रकार की नौकरी नहीं है और न ही इससे भविष्य में किसी प्रकार की नौकरी की हकदारी बनेगी।
 - टीम के सदस्य हेतु आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय या जिला विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा संगठन की वेबसाइट www.socialauditup.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

"सोशल आडिट टीम का सदस्य" हेतु आवेदन पत्र	
1— विकास खण्ड :.....	2— ग्राम पंचायत :.....
3— अभ्यर्थी का नाम :.....	4— पिता/पति का नाम :.....
5— जन्मतिथि :.....	6— शैक्षिक अर्हता :.....
7— श्रेणी (सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसका पात्र पुत्र/पुत्री):.....	
8— सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया है— हॉ/नहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष—	
9— निवास का पता एवं मोबाइल नं0 :.....	
दिनांक.....	
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....	

- 11- जिला विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन-पत्र पहुँचने की अन्तिम तिथि: 08 फरवरी, 2019 है।
जिलाधिकारी,

कृपया उपरिलिखित समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय.

(कु० रेखा गुप्ता)
निदेशक।

प्रतिलिपि :-

निम्नलिखित की सेवा में सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग-7, उमप्र० शासन, लखनऊ।
2— सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3— सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4— सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक।